सुदाम किसान गाव ए. एन. ई. (डी) टी. एच. आर. एल. आर. एस. और ओ. आर. एस.

बनाम

माणिक अनंत शिकेतोद (डी) एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा। (2010 की सिविल अपील सं. 5272)

/

अगस्त 29,2019

[दीपाक गुप्ता ए एन**.** डी**.** अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:s.100-निर्णय के निर्देश के समय विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों की गैर-रचना-आयोजितःयह प्रक्रिया पक्षकारों के लिए उचित नहीं है-पक्षकारों को यह पता होना चाहिए कि विधि के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका न्यायालय को किसी विशेष मामले में उत्तर देना आवश्यक है-केवल तभी पक्षकार और उनके वकील न्यायालय की उचित सहायता कर सकते हैं-एस के अनुसार।100, एक अपील केवल तभी हो सकती है जब अपील में शामिल विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो-उप-धारा (3) में कहा गया है कि एस के अंतर्गत दायर अपील का ज्ञापन।100 अपील में शामिल विधि के सारगर्भित प्रश्न को सटीक रूप से बताना चाहिए-यह केवल तभी है जब उच्च न्यायालय का समाधान हो कि मामले में विधि का एक सारगर्भित प्रश्न शामिल है कि वह उस प्रश्न को तैयार करेगा-उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह धाराओं की उप-धारा (4) के संदर्भ में विधि के सारगर्भित प्रश्न ों को तैयार करे।100 – इसलिए, आम तौर पर अपील को स्वीकार करने के आदेश को स्पष्ट विरचित से इंगित करना चाहिए कि अपील को स्वीकार किए जाने वाले विधि के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं-भले ही उच्च न्यायालय का विचार है कि अपील के ज्ञापन में बनाए गए विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अपील को स्वीकार करने वाले आदेश में विशेष विरचित से यह बताना चाहिए कि विधि के कौन से प्रश्न हैं जिन पर अपील स्वीकार की जाती है-इस प्रकार, अपील की सुनवाई विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न ों के इर्द-गिर्द घूमनी चाहिए और अंतिम सुनवाई में न्यायालय विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न ों से परे नहीं जा सकता है-यदि अंतिम सुनवाई के समय, न्यायालय को लगता है कि विधि के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न (प्रश्न) शामिल हैं, तो उस स्तर पर भी उस प्रश्न को तैयार करने से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन सुनवाई को विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न ों तक सीमित रखना होगा।

/

/

/

/

/

/

70

71

सुदाम किसान गाव ए. एन. ई. (डी) टी. एच. आर. एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. बनाममाणिक अनंत शिकेतोद (डी) एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:s.100, परंतुक-एस के लिए परंतुक।100 यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय के पास विधि के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न से अपील सुनने की शक्ति है जो उसके द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं, यदि वह संतुष्ट है कि मामले में ऐसे प्रश्न शामिल हैं-हालांकि, ऐसी स्थिति में, न्यायालय को विधि के ऐसे प्रश्न तैयार करने के लिए अपने कारण दर्ज करने होंगे-इसका स्पष्ट रूप से मतलब है कि न्यायालय इस स्तर पर विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न (ओं) तैयार करते समय एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा-स्वाभाविक परिणाम यह है कि पक्षकारों को विधि के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने के बाद सुना जाना चाहिए-सुनवाई विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों से पहले नहीं हो सकती है।

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2010 की सिविल अपील सं. 5272

/

बॉम्बे के न्यायिक उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.06.2009 के निर्णय और आदेश से, 1989 की दूसरी अपील No.281 में औरंगाबाद की पीठ।

/

निशांत आर. कटनेश्वरकर, अनूप कंदारी, बी. श्रीधर, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

सुधांशु एस. चौधरी, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

/

आदेश

1. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हमें लगता है कि इस मामले को उच्च न्यायालय में भेजा जाना चाहिए।

2. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील 11.06.1990 पर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रवेश के लिए आई।उच्च न्यायालय ने विधि का कोई प्रश्न बनाए बिना अपील को स्वीकार कर लिया और आदेश में कहा गया हैः

/

3. “सुना है। स्वीकार करें "

4. अपील 02.05.2009 पर सुनवाई के लिए आई।दलीलें सुनी गईं और निर्णय सुरक्षित रखा गया। दिनांकित 02.05.2009 आदेश से यह भी संकेत नहीं मिलता है कि उस तारीख को विधि का कोई प्रश्न (प्रश्न) विरचित किया गया था।इसके बाद, 10.06.2009 पर निर्णय सुनाया गया।यह निर्णय विधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख करता है।यह स्पष्ट है कि विधि के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद्वान न्यायाधीश द्वारा निर्णय के आदेश के समय विरचित किया गया था।यह प्रक्रिया, हमारी राय में, है

/

/

72

/

[2019] 12 एस सी आर।

/

पार्टियों के लिए उचित नहीं है।पक्षकारों को यह पता होना चाहिए कि विधि के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका न्यायालय को किसी विशेष मामले में उत्तर देना आवश्यक है।तभी पक्षकार और उनके वकील उचित रूप से न्यायालय की सहायता कर सकते हैं।

5. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 निम्नानुसार हैः“100. दूसरी अपील-(1) इस संहिता के मुख्य भाग में या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

/

/

(2) एक अपीलीय डिक्री से इस धारा के अंतर्गत एक अपील हो सकती है

एक पक्ष से पारित किया।

(3) इस धारा के अंतर्गत एक अपील में, अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख किया जाएगा।

/

(4) जहाँ उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।(5) इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाएगी और प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई में यह तर्क देने की अनुज्ञात जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं हैः

/

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात, विधि द्वारा प्रणीत नहीं किए गए विधि के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की विधि की शक्ति को, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छीनने या कम करने वाली नहीं मानी जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है। "

/

6. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपील केवल तभी हो सकती है जब अपील में शामिल विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो।उप-धारा (3) यह स्पष्ट करती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत दायर अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख होना चाहिए।यह केवल तभी होगा जब उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि मामले में विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है कि वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 की उप-धारा (4) के संदर्भ में विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने का कर्तव्य उच्च न्यायालय पर डाला गया है।

/

/

सुदाम किसान गाव ए. एन. ई. (डी) टी. एच. आर. एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. बनाममाणिक अनंत शिकेतोद (डी) एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा।

/

7. इसलिए, आम तौर पर अपील को स्वीकार करने के आदेश को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए कि अपील को विधि के किन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्वीकार किया गया है।भले ही उच्च न्यायालय का

विचार है कि विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि अपील के ज्ञापन में बनाए गए हैं, विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अपील को स्वीकार करने वाले आदेश में विशेष विरचित से यह बताना चाहिए कि विधि के कौन से प्रश्न हैं जिन पर अपील स्वीकार की जाती है।जाहिर है, यदि विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न (ओं) उत्पन्न नहीं होता है तो अपील को सीमा पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

/

8. उप-धारा (5) आदेश देती है कि इस प्रकार बनाए गए प्रश्नों पर अपील की सुनवाई की जाएगी।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपील की सुनवाई विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के इर्द-गिर्द घूमनी चाहिए और अंतिम सुनवाई में न्यायालय विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों से परे नहीं जा सकता है।हालाँकि, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि अंतिम सुनवाई के समय, न्यायालय को लगता है कि इसमें विधि के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, तो उसे उस स्तर पर भी उस प्रश्न को तैयार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, लेकिन सुनवाई को विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न ों तक ही सीमित करना होगा।उप-धारा (5) यह भी स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रत्यर्थी को यह आग्रह करने का अधिकार है कि विधि के सारवान प्रश्न, जैसा कि तैयार किया गया है, वास्तव में विचार के लिए उत्पन्न नहीं होते हैं या वे विधि के सारवान प्रश्न नहीं हैं।9. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय के पास विधि के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न से अपील सुनने की शक्ति है जो उसके द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं यदि वह संतुष्ट है कि मामले में ऐसे प्रश्न शामिल हैं।हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में न्यायालय को विधि के ऐसे प्रश्न तैयार करने के लिए अपने कारण दर्ज करने होते हैं।इसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि न्यायालय इस स्तर पर विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करते समय एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा। स्वाभाविक परिणाम यह है कि विधि के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने के बाद पक्षों को सुना जाना चाहिए।सुनवाई विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों से पहले नहीं हो सकती है।हमारा स्पष्ट विरचित से यह विचार है कि उच्च न्यायालय ने अंततः अपील की सुनवाई में गलती की जब विधि के प्रश्न तैयार नहीं किए गए हैं और केवल निर्णय में विधि के प्रश्न तैयार किए गए हैं।10. इसलिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश को इस संक्षिप्त आधार पर दरकिनार करते हैं कि तर्कों को सुनने से पहले विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विरचित नहीं किया गया था।

/

/

/

/

/

11. हम मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हैं और उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि पक्षकारों को सुनने के बाद विधि के प्रश्नों पर निर्णय लिया जाए।हम उच्च न्यायालय को सुनवाई के बाद विधि के प्रश्नों को फिर से तैयार करने की स्वतंत्रता देते हैं

/

74

/

[2019] 12 एस सी आर।

/

दलों को।हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इस मामले को वर्ष 1990 में दायर की गई दूसरी अपील के रूप में माना जाए और तदनुसार इसे प्राथमिकता दी जाए।

यह कहा गया है कि प्रतिवादी नं।2 उसकी मृत्यु हो गई है और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है।जिस आदेश को हमने पारित किया है, उसे ध्यान में रखते हुए हम अपील में कोई और देरी नहीं चाहते हैं और इसे उच्च न्यायालय पर छोड़ देते हैं कि वह प्रतिवादी नं.2 अपील पर।

/

अपील की अनुज्ञात उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/